

पीठासीन अधिकारी
प्रकरण संख्या
उनवान

: श्री अशोक कुमार शर्मा

: 64/2018

1. भंवरी देवी पत्नी श्री बीन्जाराम, निवासी ग्राम धानास, पोस्ट जोबनेर, तहसील फुलेरा जिला जयपुर हाल निवासी रामकुई (पचार), तहसील व जिला जयपुर।
2. बीन्जाराम पुत्र स्व. श्री भोलूराम निवासी ग्राम धानास, पोस्ट जोबनेर, तहसील फुलेरा जिला जयपुर हाल निवासी रामकुई (पचार), तहसील व जिला जयपुर।

बनाम

1. ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी, पंचायत समिति सांभरलेक, जिला जयपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी।
2. लाली देवी पत्नी भगवान सहाय जाट निवासी ग्राम कापडियावास पोस्ट दुर्जनियावास बाया कालवाड तहसील व जिला जयपुर।

निर्णय दिनांक

: 15.07.2022

अधिवक्तागणों का नाम

: अ) श्री ओ.पी. वर्मा निगरानीकर्ता की ओर से।

ब) श्री रमेश सिंह राजावात गैरनिगरानीकारान की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994 सपठित नियम 1996 विरुद्ध ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी द्वारा जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 20.01.2014 बहक लाली देवी

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रसंगत पट्टा संख्या 8 दिनांक 20.01.2014 को मिसल संख्या 19/2013-14, दिनांक दायर 20.09.2013 संकल्प संख्या 3 रसीद संख्या 73 गैर कानूनी तरीके से विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के हक में गलत, विधि विरुद्ध व आवंटन नियमों की पालना के बगैर जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे में वर्णित भूखण्ड पर पट्टा जारी दिनांक से पूर्व व वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है, बल्कि निगरानीकर्तागण का कब्जा अर्श कदीम से लगातार चला आ रहा है व निगरानीकर्तागण ने उसमें अपना बाड़ा बनाकर पशु बांधने के काम में लगातार उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 2 धनबल एवं लट्ट के बल पर प्रार्थी के बाड़े पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्नगत पट्टे से सरपंच से सांठगांठ कर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। निगरानीकर्तागण अर्श कदीम से बाड़ा पशुओं को बांधने चारा रखने आदि के उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। परन्तु विपक्षीगण साजकर प्रार्थी के बाड़े को हडप करने के उद्देश्य से उक्त प्रश्नगत पट्टा सरपंच से मिलीभगत कर प्रार्थी की भूमि का पट्टा तैयार कराया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा कर्तई कानूनी व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व पट्टा जारी करने संबंधी नियमों की पालना नहीं की। विपक्षी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया है। प्रश्नगत भूखण्ड पर विपक्षी संख्या 2 के हक में जारी पट्टे से पूर्व व उसके बाद कभी भी विपक्षी संख्या 2 का कब्जा नहीं रहा। विपक्षी संख्या 1 द्वारा बिना वास्तविक तथ्यों की जानकारी के जारी किया गया है। उक्त पट्टा दिनांक 20.01.2014 को विपक्षी संख्या 2 के हक में जारी किया गया जो 333.33 वर्गगज का है, जो निगरानीकर्तागण के कब्जेशुदा बाड़े का हिस्सा है जिसका 50 वर्ष पूर्व से ही अधिक समय से निगरानीकर्तागण का कब्जा रहा है तथा करीब 50 वर्ष पूर्व से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। जिसमें

से 1/2 हिस्से का पट्टा विपक्षी संख्या 2 को विपक्षी संख्या 1 ने दिया है। जिसका विपक्षी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं था, विपक्षी संख्या 2 ने सरपंच से मिलीभगत कर उक्त फर्जी पट्टा बिना मौके पर गये व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दिया गया है, इसलिये निरस्तनीय है।

निगरानीकर्तागण व उनके वंशजों के समय से उपरोक्त भूमि को उपयोग उपभोग में लेते आ रहे हैं। पशु बांधने का बाड़ा बनाकर रह रहे थे। निगरानीकर्तागण करीब एक वर्ष पूर्व से बीमार होने के कारण अपने पुत्र शंकरलाल के पास रामकुई पचार, जिला जयपुर रहने आ गये, तब पीछे से मौका पाकर गैर निगरानीकर्तागण ने साज कर मौका पाकर बिना विधिक प्रक्रिया से अवैध रूप से विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 को पट्टा जारी कर दिया। जिसमें 50 वर्षों से अधिक समय से निगरानीकर्तागण पशु बांधन के काम में ले रहे हैं। निगरानीकर्तागण ने विपक्षी संख्या 2 के पट्टे की नकल प्राप्त कर देखा तो विपक्षी संख्या 2 को निगरानीकर्तागण के कब्जेशुदा बाड़े के 1/2 हिस्से का पट्टा सरपंच से मिलकर फर्जी तैयार करवाया हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत की कार्यवाही में कहीं भी कोरम के हस्ताक्षर नहीं हैं, ना ही स्वयं के वार्ड के वार्ड पंच के हस्ताक्षर हैं। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने साज कर उक्त पट्टा जारी करने करने के लिए एक गलत मौका रिपोर्ट दिनांक 20.09.2013 पंच कमीशन से तैयार करवाई गई, जिसमें बिना जांच किये मौका रिपोर्ट बना दी गई। इस बात की जांच नहीं की कि मौके पर निगरानीकर्तागण का बाड़ा है, लेकिन गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है, बल्कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 इस गांव की रहने वाला ही नहीं है। वह दूसरे गांव में रहता है, जिसका यहां कोई राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ना ही पट्टे में गवाहों के हस्ताक्षर हैं ना ही आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में जो आपत्ति नोटिस जारी किये जाने थे, वे भी ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार से जारी नहीं किये फिर खानापूति करने लिए फर्जी रिकार्ड तैयार किया गया। प्रश्नगत पट्टा जारी करने पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने कोई आम सूचना जारी नहीं की, ना ही आपत्ति मांगी गई, ना ही वास्तविकता की जांच की गई बल्कि विपक्षी संख्या 2 के प्रभाव में आकर गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से प्रश्नगत पट्टा जारी कर भयंकर त्रुटि की है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 ने अपने पट्टा आवेदन पत्र व शपथ पत्र में लिखा है उसका 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा उसमें पक्के मकानात बनाकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं जो कि गलत है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 उक्त गांव में कभी नहीं रहा, ना ही उक्त गांव का राशन कार्ड पहचान पत्र आदि है, दूसरे गांव की रहने वाला है, लेकिन गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने इस ओर कोई ध्यान न देकर साज कर गैरकानूनी तरीके से उक्त पट्टा जारी किया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 को पट्टा जारी करते समय बिना मौके की स्थिति देखे, बिना पंचायती रिकार्ड देखे, बिना कोई जांच किये कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 इस गांव का रहने वाला नहीं है, ना ही उसका राशन कार्ड बना हुआ है, ना ही वोटर लिस्ट में नाम है, ना ही कब्जा है, ना ही मकान बना हुआ है, फिर भी राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 की धारा 157 (1) के तहत गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के हक में उक्त पट्टा जारी किया जाता है, जो 50 वर्षों से वहां रह रहा हो, कच्चे पक्के मकानात बने हुए हो, जिनका जीर्णोद्धार करने के लिए पट्टा ले रहा हो। लेकिन अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने सभी नियमों को ताक में रखते हुए गुपचुप में कार्यवाही करते हुए गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के हक में पट्टा जारी कर गंभीर कानूनी त्रुटि की है। उक्त पट्टे की संख्या 2 को विपक्षी संख्या 2 द्वारा निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा बाड़े में जानकारी निगरानीकर्ता को विपक्षी संख्या 2 द्वारा निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा बाड़े में जानकारी निगरानीकर्ता को विपक्षी संख्या 2 द्वारा निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा बाड़े में कब्जा करने की कोशिश करने व ऐलानिया धमकी देने पर हुई कि मैने इसका पट्टा कब्जा करने की कोशिश करने में कब्जा लेकर ही रहूंगा। इस पर निगरानीकर्ता ने विपक्षी पूर्व में बनवा लिया है, मैं कब्जा लेकर ही रहूंगा। इस पर निगरानीकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 के फर्जी पट्टे की नकल व कागजात निकलवाये। निगरानीकार के बाड़े पर संख्या 2 के फर्जी पट्टे की नकल व कागजात निकलवाये। निगरानीकार के बाड़े पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा जबरन कब्जा करने के प्रयास के बाद मालूमात करने पर तथाकथित प्रश्नगत पट्टे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तब पता चला कि प्राथी के प्राथी के कदीम से काबिज बाड़े पर साजकर तथाकथित प्रश्नगत पट्टा तैयार करवा लिया गया है। इस प्रकार गुपचुप में तैयार किये गये पट्टा निरस्त किये जाने योग्य प्रश्नगत पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत कतई गैर कानूनी और होने के कारण निरस्त किया गया है।

निरस्तनीय है। प्रश्नगत पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत आर्बीट्रेरी एण्ड कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने के कारण निरस्तनीय है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी पंचायत समिति सांभर लेक जिला जयपुर द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 08 दिनांक 20.01.2014 बहक विपक्षी संख्या 2 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि 8 दिनांक 20.01.2014 को मिसल संख्या 19/2013-14, दिनांक दायर 20.09.2013 संकल्प संख्या 3 रसीद संख्या 73 विधि विरुद्ध जारी किया गया है। वर्णित भूखण्ड पर पट्टा जारी दिनांक से पूर्व व वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है। गैर निगरानीकार संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है, बल्कि निगरानीकर्तागण का कब्जा चला आ रहा है व निगरानीकर्तागण ने उसमें अपना बाड़ा बनाकर पशु बांधने के काम में लगातार उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। पट्टा दिनांक 20.01.2014 को विपक्षी संख्या 2 के हक में जारी किया गया जो 333.33 वर्गगज का है, जो निगरानीकर्तागण के कब्जेशुदा बाड़े का दिया गया है जिसका 50 वर्ष पूर्व से ही अधिक समय से निगरानीकर्तागण का कब्जा चला आ रहा है। निगरानीकर्तागण के कब्जेशुदा बाड़े के 1/2 हिस्से का पट्टा सरपंच से मिलकर फर्जी तैयार करवाया हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत की कार्यवाही में कहीं भी कोरम के हस्ताक्षर नहीं है, ना ही स्वयं के वार्ड के वार्ड पंच के हस्ताक्षर हैं। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 इस गांव की रहने वाली ही नहीं है। वह दूसरे गांव में रहती है जिसका यहां कोई राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, गैर निगरानीकार संख्या 2 ग्राम खेडी अलूफा की रहने वाली है, जिसके सबूत के तौर पर निगरानीकार द्वारा उस गांव की प्रमाणित मतदाता सूची की प्रति पेश ही है, जो वर्ष 2014 की है। साथ ही ना ही पट्टे में गवाहों के हस्ताक्षर है ना ही आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में जो आपत्ति नोटिस जारी किये जाने थे, वे भी ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार से जारी नहीं किये। केवल कागजों में ही आपत्ति नोटिस की खानापूर्ति की गई। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 ने अपने पट्टा आवेदन पत्र व शपथ पत्र में लिखा है उसका 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा उसमें पक्के मकानात बनाकर उपयोग उपभोग कर रहे है जो कि गलत है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 को पट्टा जारी करते समय बिना मौके की स्थिति देखे, बिना पंचायती रिकार्ड देखे बिना कोई जांच किये कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 इस गांव की रहने वाली नहीं है, ना ही उसका राशन कार्ड बना हुआ है, ना ही वोटर लिस्ट में नाम है, ना ही कब्जा है, ना ही मकान बना हुआ है, फिर भी नियमों की अवहेलना करते हुए पट्टा जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत आर्बीट्रेरी एण्ड कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने के कारण निरस्तनीय है।

अतः अधीनस्थ ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी पंचायत समिति सांभर लेक जिला जयपुर द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 8 दिनांक 20.01.2014 बहक विपक्षी संख्या 2 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि पट्टा संख्या 08 जो कि दिनांक 20.01.2014 को गैर निगरानीकार संख्या 1 ने गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा प्रश्नगत पट्टा आवेदन हेतु गैर निगरानीकार संख्या 1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जो संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अन्तर्गत एवं पंचायत राज अधिनियमों की अनुपालना में विधि सम्मत तरीके से जारी किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने विवादित भूमि पर कच्चा फूस का झोपडा बना रखा है, जो कि उसके मवेशियों का चारा, फूस, ईंधन इत्यादि रखने हेतु उपयोग उपभोग लगातार निर्वाध रूप से किया जा रहा है। निगरानीकार का आज दिनांक तक कभी किसी भी प्रकार का कब्जा अथवा टाईटल इन्टरेस्ट का आज दिनांक तक कभी भूखण्ड पर नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त गैर निगरानीकार संख्या 8 वाले भूखण्ड पर नहीं है तथा उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है।

अतः निगरानीकार की निगरानी सारहीन एवं गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

हम निगरानीकार की निगरानी, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गैर निगरानीकार संख्या 1 के समक्ष गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ कब्जे, रहवास के साक्ष्य के बतौर कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए हैं, जबकि सामान्य रूप से आवेदन के साथ राशनकार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल, वोटर आई.डी. कार्ड आदि को बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। यहां तक के गैर निगरानीकार संख्या 2 ने आवेदन पत्र में अपने कब्जे की अवधि का अंकन भी नहीं किया है और न ही शपथ पत्र में कब्जे की अवधि का अंकन किया है। ऐसी स्थिति में गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 का कब्जा 0/50 वर्ष मानने का कोई आधार नहीं है। जबकि निगरानीकार द्वारा गैर निगरानीकार का निवास दूसरे स्थान पर साबित करने के लिए वोटर लिस्ट की प्रति संलग्न की है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे व रहवास के आधार पर जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 20.01.2014 अवैध सिद्ध होता है और निगरानी स्वीकार योग्य ज्ञात होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 को जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 20.01.2014 निरस्त किया जाता है तथा गैर निगरानीकार संख्या 1 को निर्देश दिये जाते हैं कि 3 माह में विवादित भूमि का पट्टा कब्जे व रहवास के साक्ष्यों के आधार पर संबंधित को जारी करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



32
अतिरिक्त कम्पार शुर्मा
अतिरिक्त कलेक्टर एवं
(तृतीय) जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।